



## सराहनीय कार्य कानपुर देहात

दिनांक 01.06.2025

- ❖ महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु कानपुर देहात पुलिस द्वारा की गयी एक और कड़ी कार्यवाही।
- ❖ थाना राजपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए नाबालिग बालिका से दुष्कर्म की घटना कारित करने वाले 01 नफर वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार।
- ❖ थाना राजपुर पर पंजीकृत मु0अ0सं0 023/2025 धारा 64(1)/137(2)/87/351(3) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट में वांछित था अभियुक्त।

कृपया अवगत कराना है कि श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक, कानपुर जोन, कानपुर, श्री आलोक सिंह व श्रीमान पुलिस उपमहानिरीक्षक, कानपुर रेन्ज, कानपुर, श्री हरीश चन्दर के कुशल मार्गदर्शन में व श्रीमान पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात श्री अरविन्द मिश्र के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में महिला सम्बन्धी अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 17.05.2025 को वादिनी द्वारा दी गयी तहरीर के आधार पर थाना राजपुर पर मु0अ0सं0 23/25 धारा 137(2)/87 बीएनएस पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त की विवेचना के क्रम में प्राप्त तथ्यों/साक्ष्यों के आधार पर धारा 64(1)/351(3) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट की बढ़ोत्तरी की गयी। थाना राजपुर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए मुकदमा उपरोक्त में वांछित अभियुक्त गोलू वर्मा पुत्र ब्रजेश उर्फ बिर्जू निवासी हरिहरपुर थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 20 वर्ष को आज दिनांक 01.06.2025 को मुखबिर की सूचना पर मुगल रोड़ से कुँवरपुर की तरफ जाने वाली सड़क के किनारे से थाना क्षेत्र राजपुर से समय करीब 10.20 बजे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्त को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

### गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. गोलू वर्मा पुत्र ब्रजेश उर्फ बिर्जू निवासी हरिहरपुर थाना सिकन्दरा जनपद कानपुर देहात उम्र करीब 20 वर्ष।

### अभियुक्त का आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0सं0 023/2025 धारा 64(1)/137(2)/87/351(3) बीएनएस व 3/4 पॉक्सो एक्ट थाना राजपुर जनपद कानपुर देहात।

### गिरफ्तार करने वाली थाना राजपुर पुलिस टीम-

1. थानाध्यक्ष श्री कालीचरन कुशवाहा।
2. उ0नि0 श्री गुरेन्द्र प्रताप सिंह।
3. हे0का0 579 विवेक सिंह तोमरा।
4. का0 1098 अमित कुमार।
5. म0का0 1270 प्रियंका कुमारी।